

अंचल अधिकारी 420 का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 52/2016-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- कुलवोना, थाना- 1916, खाला संख्या- 28, प्लॉट संख्या- 5.14, रकबा- 0.20, एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनायाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- VII, के पृष्ठ संख्या- 58, पर जमाबंदी रैयत जीवन मोशी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 22/07/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी  
15.7.16

15.7.16  
अंचल अधिकारी  
निरस्त

12  
**अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा।**

संदिग्ध जमाबंदी रद्द अभिलेख संख्या...52.../2016-17

दि

आदेश फलक

अभ्युक्ति

1

2

3

22.7.16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती श्री. जयशंकर साकिम...कुल चौक अनुपस्थित है। जमाबंदी रैयत को पुनः द्वितीय नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक...28.7.16...को उपस्थापित करें।

21/15  
22-7-16  
अंचल अधिकारी  
निरसा।

28.7.16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। द्वितीय नोटिस का तामिला प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। द्वितीय पक्ष श्री. जयशंकर जमाबंदी रैयत के वंशज श्री. जयशंकर श्री/श्रीमती श्री. जयशंकर साकिम...कुल चौक उपस्थित है एवं राजस्व कागजात यथा...कुल चौक समर्पित किया गया है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन, चेक स्लीप व अनुशंसा के आधार पर प्रमाणित होता है कि मौजा कुल चौक मौजा नं०-196 खाता 28 प्लॉट नं०-514 रकबा 020.00 जो गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है एवं जमाबंदी पंजी II में कायम जमाबंदी सं०-56 दाखिल खारिज/लगानधार्य/सरकारी बन्दाबस्ती वादसं० 296/64/65 के अनुसार प्राधिकार कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर से कायम नहीं की गई है।



अतः बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में पंजी II में कायम जमाबंदी सं०-56 को रद्द करने हेतु  
 .....अभिलेख मूल में अनुशंसा के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

21/15  
28-7-16  
अंचल अधिकारी  
निरसा।

178 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रश्नगत भूमि से संबंधित जाँच पुनः करायी गई। राजस्व कर्मचारी ने जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि, श्री/श्रीमती.....~~श्री/श्रीमती~~ पिता/पति-.....  
साकिम- ~~श्री/श्रीमती~~ के द्वारा अपने पक्ष में प्रश्नगत भूमि मौजा-.....~~श्री/श्रीमती~~, मौजा सं०-.....~~श्री/श्रीमती~~, खाता सं०-~~श्री/श्रीमती~~, प्लॉट सं०-.....~~श्री/श्रीमती~~, रकबा-.....~~श्री/श्रीमती~~ ए० भूमि गैर आबाद खाते से संबंधित है। नोटिस का तामिला उपरान्त जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में सादा हुकुमनामा/केवाला दलील/बन्दोबस्ती/पट्टा/लगान-रसीद प्रस्तुत किया/नहीं किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबंदी सं०-.....~~श्री/श्रीमती~~ को रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। तथा पूर्व में भी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः उक्त जमाबंदी सं०-.....~~श्री/श्रीमती~~ को विहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा-4(h) के तहत अवैध मानते हुए रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अभिलेख मूल में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

~~श्री/श्रीमती~~  
24.4.19  
अंचल अधिकारी  
निरसा।

दिनांक	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
17.11.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के पत्रांक-733, दिनांक-23.09.2020 के द्वारा विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमवांदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-27.11.2020 को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right;">   अंचल अधिकारी, निरसा। </div>	
27.11.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य समर्पित नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-07.12.2020 को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right;">   अंचल अधिकारी, निरसा। </div>	
07.12.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमवांदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का</p>	

मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-.....  
कुम्बिना, मौजा नं०-196, खाता सं०-28, प्लॉट सं०-514  
....., रकबा-0.20एव गत् सर्वे खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के  
अनुसार गैर आबाद (अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है।  
जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व  
कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष  
1985 के पूर्व से दखलकार नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की  
जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं  
अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की  
गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध  
जमाबंदीदार जायन मांझा के नाम से पंजी-II में कायम  
जमाबंदी संख्या-56 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा  
के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के  
तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-56 को रद्द करने हेतु अनुशंसा  
के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर  
समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।